

महाराष्ट्र राज्य न्यायपालिका अदालत, मुंबई

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
 आदेश वनाम शिकेश
 मु. सं. 36/22

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुकम की तामील
 में जारी हुए

5

आज पत्रावली पेश हुई
 वकील वादी व स्वयं वादी को रुक-रुक
 कर बात-बात आवाय्य दिलायी गयी किन्तु
 कोई उपलब्धि नहीं आये। वकील वादी को
 तबतक लान्त पेश करने के लिये परिश्रम
 कबूल दिये जा चुके हैं ऐसी स्थिति में
 यह उचित होता है कि वकील अपने दायरे
 के अंतर्गत नहीं हैं और यह पत्र को
 चलाया नहीं जायता है।

अतः वकील का दायरे
 अंतर्गत पेश व अंतर्गत दायरे में स्वयं
 लिये जाय है। पत्रावली फौजल शुद्ध है
 वाद वकील दाखिल दफतर ही

आदेश सुभाष गंध


 उप खण्ड अधिकारी
 महारा (दौसा)